कार्यालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( ) Reader. /2025/ 572-74 दिनांक 19–11–2025

1. जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा (राज.)
2. जिला पुलिस अधीक्षक, डुंगरपुर (राज.)

विषय : निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय के निम्नानुस ार प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 निर्णय की प्रतियॉ इस पत्र के संलग्न पालनार्थ भिजवाई जा रही है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	उनवान	निर्णय दिनांक
1	01/2025	पुलिस अधीक्षक बांसवाडा बनाम श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा	17–11–2025

कृपया पावती से अवगत करावें।

(राजीव द्विवेदी)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :–
सहायक निदेशक, अभियोजन, बांसवाड़ा।

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2025
Gcms reg. No. 2025/28

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नंम्बर	न्यायालय निर्णय
1	85/19–03–2024	धारा 13 आर.पी.जी.ओ	50/30.04.2024	सजा
2	345/20–10–2024	धारा 13 आर.पी.जी.ओ	397/20.11.2024	सजा

श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा को सट्टा की खइवाली करने पर कुल 2 प्रकरण में जुआ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल सट्टा की खइवाली करने का अपराध करने का आदि है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 14–07–2025 को अप्रार्थी गैरसायल का नोटिस बाद तामिल पेश हुआ। नोटिस तामिल होने के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

उपरांत भी गैर सायल/ अप्रार्थी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा है, इससे प्रतित होता है कि गैर सायल/ अप्रार्थी श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा कथित आरोपो के संबंध में कोई जवाब/ साक्ष्य देने / किसी साक्ष्य की परीविक्षा कराने की इच्छा नही रखता है। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल पर जुआ अधिनियम में कुल 2 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृति का है, जो समाज में आमजन कें लिये हानिकारक व घातक है। गैरसायल को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजुद भी अप्रार्थी/ गैरसायल सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है जिसमें गैरसायल सजायाब हुआ है। परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणो में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। पत्रावली में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजुद है, अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 2 प्रकरणो में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

जिला बांसवाडा (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि –

1. श्री एजाज अहमद पिता श्री शरीफ मोहम्मद निवासी पाण्डवासाथ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा की सीमा से 40 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.) अन्तर्गत क्षैत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।
2. यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षैत्र नही छोडेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।
4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।
5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाधर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नही हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 17-11-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बासवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)